तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
	सुल्तान बनाम वीरेन्द्र दावा मु.नं. 844/2017	
12/10/23	पत्रावली पेश हुई। बमुलाजा उभयपक्षकारान उपस्थित। प्रार्थनापत्र कायम मुकामान प्रतिवादी संख्या 05 व नाम हजफ प्रतिवादी संख्या 06 दिनांक 12.10.2022 पूर्व में ही स्वीकार किया जा चुका था परन्तु सहवन से आदेशिका में अंकन नहीं हो पाया था। इस त्रुटि का सुधार कर प्रार्थनापत्र कायम मुकामान प्रतिवादी सं. 05, 06 स्वीकार कर रिकॉर्ड पर लिया जाता है। जिसकी पालना में तत्संबंधित लिपिक व आवश्यक तामिल की कार्यवाही की रिकॉर्ड पर दर्ज कर ली गई है। तरतीबी पक्षकार प्रतिवादी सं. 17 व 18 की तरफ से अधिवक्ता नरेश शर्मा ने हाजिर अदालत आकर जवाबदावा पेश नहीं कर वादपत्र की इस्तदुआ अनुसार वाद डिक्री करने हेतु अपनी सहमति प्रदान कर आदेशिका पर अंकन कर हस्ताक्षर दर्ज किये। इस पर वकील वादी द्वारा अंतिम बहस हेतु निवेदन कर, बहस में पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों का हवाला देते हुये वादपत्र बाबत इस्तकरारिया, रिकॉर्ड दुरुस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार करने हेतु निवेदन किया। वकील वादी की बहस सुनी गई, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन करने पर वादपत्र न्यायोचित पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। लगातार---	तरतीबी प्रतिवादी नं. 17 व 18 का जवाबदावा नहीं करना चाहता है। वाद पत्र की इस्तदुआ के अनुसार वाद डिक्री हो जाता है तो मुझे आपत्ति नहीं। (हस्ताक्षर) नरेश कुमार

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.12 16:52:56 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

उन्वान बनाम हीरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
दावा	मु.नं. 844/2017
	निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो Rathore 12/10/23 दिलीप सिंह सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.12 16:52:56 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
844 / 2017	2017 / 00078	18.09.2002	12.10.2023

उनवान प्रकरण

1. सुल्तान पुत्र श्री घीसाराम आयु 38 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम त्रिलोकपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल नीमकाथाना राजस्थान

—— वादी——

बनाम

1. छीतर पुत्र सुण्डाराम मृतक के बजाय :–

1/1 फूली देवी पत्नी स्व0 श्री छीतर

1/2 बाबूलाल पुत्र स्व0 श्री छीतर

1/3 कैलाश पुत्र स्व0 श्री छीतर

1/4 भगवानसहाय पुत्र स्व0 श्री छीतर

1/5 मंजू पुत्री स्व0 श्री छीतर

1/6 निरमा उर्फ छोट पुत्री स्व0 श्री छीतर

1/7 बिमला पत्नी स्व0 श्री गिरधारी पुत्र छीतर

1/8 शीशराम पुत्र स्व0 गिरधारी पुत्र छीतर

1/9 सुनिल पुत्र स्व0 गिरधारी पुत्र छीतर

समस्त जाति जाट निवासीगण त्रिलोकपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल नीमकाथाना राजस्थान।

2. सरदार पुत्र श्री सुण्डाराम

3. नाथूराम पुत्र सुण्डाराम

समस्त जाति जाट निवासीगण त्रिलोकपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल नीमकाथाना राजस्थान।

4. बोदू पुत्र मांग्या मृतक के बजाय :–

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.12 16:52:56 IST
Reason: SelfAttested

12/10/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

4/1 माली देवी पत्नी स्व. बोदू

4/2 संतोष पुत्र स्व. बोदू

4/3 झाबर पुत्र स्व. बोदू

4/4 लाडा देवी पुत्री स्व. बोदू

समस्त जाति जाट निवासीगण त्रिलोकपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल नीमकाथाना राजस्थान।

5. धूड़ा पुत्र मांग्या मृतक के बजाय :–

5/1 भागली देवी पत्नी स्व. धूड़ाराम

5/2 महेश पुत्र स्व. धूड़ाराम

5/3 हरिराम पुत्र स्व. धूड़ाराम

5/4 प्रेम देवी पुत्री स्व. धूड़ाराम

5/5 सुमित्रा पुत्री स्व. धूड़ाराम

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर

समस्त जाति जाट निवासीगण त्रिलोकपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल नीमकाथाना राजस्थान।

6. बींजा देवी पत्नी मांग्या (नाम हजफ)

7. कमली देवी पुत्री सुण्डाराम

8. श्रवण देवी पुत्री सुण्डाराम

समस्त जाति जाट निवासीगण त्रिलोकपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल नीमकाथाना राजस्थान।

9. पटवारी हल्का सिहोड़ी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल नीमकाथाना राजस्थान।

10. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल नीमकाथाना राजस्थान।

11. प्रबंधक सहकारी बैंक श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल नीमकाथाना राजस्थान।

12. प्रबंधक भूमि विकास बैंक श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल नीमकाथाना राजस्थान।

13. प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल नीमकाथाना राजस्थान।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.12 16:52:56 IST
Reason: SelfAttested

12/10/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

14. प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल नीमकाथाना राजस्थान।

15. प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल नीमकाथाना राजस्थान।

16. प्रबंधक शेखावाटी ग्रामीण बैंक शाखा नाथूसर श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल नीमकाथाना राजस्थान।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर

— प्रतिवादीगण —

17. तीजा देवी पत्नी घीसालाल

18. मोहनलाल पुत्र घीसालाल

समस्त जाति जाट निवासीगण त्रिलोकपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल नीमकाथाना राजस्थान।

— तरतीबी प्रतिवादीगण —

उपस्थित : –

श्री आदित्य प्रताप सिंह नरूका एड0, वादी अभिभाषक।

श्री कानाराम पूनियां एड0, प्रतिवादी संख्या 2 अभिभाषक।

श्री नरेश कुमार शर्मा एड0 तरतीबी प्रतिवादी संख्या 17 व 18 अभिभाषक।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 10 ।

वापत्र बाबत ईस्तकरार हक, रिकार्ड दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा

(अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम)

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर नम्बर 429 ता 455 रकबा क्रमशः 0.54, 0.20, 0.20, 0.24, 0.27, 0.[illegible], 0.8[illegible], 0.61, 0.74, 0.77, 0.15, 0.34, 0.64, 0.63, 0.14, 1.24, 0.38, 0.06, 0.10, 0.13, 0.96, [illegible]36, 0.48, 0.83, 0.23, 0.25, 1.69 कुल किता 27 कुल रकबा 13.63 हैक्टर अवस्थित [illegible]न् ग्राम सालावाली पटवार हल्का

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.12 16:52:56 IST
Reason: SelfAttested

12/10/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

सिहोडी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल नीमकाथाना (राज0) हैं जिसमें 1/24 हिस्से पर वादी एंव तरतीबी प्रतिवादीगण नम्बर 17 व 18 काबिज काश्तकार हैं जबकि उक्त भूमि का वर्तमान राजस्व रिकार्ड प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 व मृतक छीतर पुत्र सुण्डा, बोदू पुत्र मांग्या, धूड़ा पुत्र मांग्या, बींजा देवी पत्नी मांग्या व गिरधारी पुत्र छीतर के नाम हिस्सा 1/8 दर्ज हैं जो कि बिलकुल गलत है। वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण नम्बर 17 व 18 व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 एक ही परिवार व कुटुम्ब के व्यक्ति हैं। इस प्रकार वादी व प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 8 व 17 व 18 आपस मे एक ही परिवार व कुटुम्ब के हैं एंव वादपत्र की मद नम्बर 1 मे वर्णित भूमि उनकी पैतृक सम्पत्ति हैं जिसका बाह्मी पारिवारिक बंटवारा वादी व प्रतिवादीगण से बुजुर्गान के समय मे ही हो गया था लेकिन राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही व सहवन से रिकार्ड में वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण नम्बर 17 व 18 के पिता व पति का नाम अंकित नही हो सका, जबकि वे उक्त पैतृक सम्पत्ति में 1/3 हिस्सा यानि सम्पूर्ण भूमि मे 1/24 हिस्से के हकदार थे एंव काबिज काश्त थे एंव वादी व तरतीबी पक्षकारगण नम्बर 17 व 18 आज भी उक्त 1/24 हिस्से की भूमि पर पूर्णतया काबिज काश्त है जिससे प्रतिवादीगण या दीगर किसी का कोई लेन देन किसी प्रकार का नही हैं, ना ही था। वादी व तरतीबी पक्षकारगण नम्बर 17 व 18 को उक्त गलत अंकन की कभी जानकारी नही हुयी ना ही रिकार्ड लेने की उन्हे आवश्यकता ही पड़ी लेकिन जब अपनी भूमि मे समुचित विकास हेतु राज्य सरकार से अनुदान आदि लेने के लिए रिकार्ड की नकल लेने के लिए पटवारी हल्का से मिले तो उक्त गलत राजस्व रिकार्ड की जानकारी हुयी तब वादी ने प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 8 से उक्त गलत राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करवाकर वादी व तरतीबी पक्षकारगण का नाम अंकित करवाने का निवेदन किया तो पहले तो प्रतिवादीगण ने वादी को झूठा आश्वासन दे दिया लेकिन अब अर्सा करीब 10 रोज से प्रतिवादीगण के मन मे भूमि की कीमतो को बढ़ता देखकर व खातेदारी अपने नाम होने के कारण बदनियति आ गयी हैं व रिकार्ड दुरूस्त करवाने से साफ मना कर दिया व धमकी दी कि रिकार्ड हमारे नाम हैं तुम्हे जबरन बेदखल कर देंगे करेंगे व नुमायशी विक्रय पत्र द्वारा प्रतिवादीगण नम्बर 9 व 10 जो कि हमारे आदमी हैं मिलकर रिकार्ड बदलवा देगे एंव प्रतिवादीगण नम्बर 11 ता 16 के पास भूमि को रहन रखकर ऋण प्राप्त कर भूमि को खुर्द बुर्द कर देगे एंव वादी के शान्तिप्रिय कब्जा काश्त मे मजाहमत करना शुरू कर दिया

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.12 16:52:56 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

जिसका कि उनको कोई अधिकार किसी प्रकार का नही हैं एंव यदि प्रतिवादीगण अपनी उक्त बेजा एंव अवैध कार्यवाहीयों मे सफल हो गये तो वादी व तरतीबी पक्षकारगण नम्बर 17 व 18 बर्बाद हो जावेगे एंव उक्त भूमि कि उनकी आजिविका का एकमात्र साधन से महरूम हो जावेगे जिससे उन्हे असीम क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी कदर संभव नही हो सकेगी अति प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 16 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण नम्बर 17 व 18 वादपत्र की मद नम्बर 1 मे वर्णित भूमि के 1/24 हिस्से पर वरवक्त बुजुर्गान से ही निरन्तर काबिज काश्तकार बईल्म प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 8 चले आ रहे हैं एंव काफी पैसा लगाकर व परिश्रम करके उपजाऊ व उन्नत बनाया हैं इस प्रकार विपरित कब्जा के आधार पर भी वादी व तरतीबी पक्षकारगण नम्बर 17 व 18 उक्त भूमि में खातेदारी अधिकार प्राप्त कर चुके हैं एंव उक्त भूमि का रिकार्ड बदलवाकर अपना दर्ज करवाने के अधिकारी है। बिनाय दावा प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 8 द्वारा वादपत्र की मद नम्बर 1 में वर्णित भूमि मे 1/24 हिस्से की खातेदारी वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के नाम करवाने से करीब 10 रोज पूर्व मना करने व उक्त भूमि से वादी व तरतीबी पक्षकारगण को जबरन बेदखल कर कब्जा कर लेने व उक्त भूमि को दीगर को बेचान कर रिकार्ड प्रतिवादीगण नम्बर 9 ता 10 से बदलवाने की धमकी देने व प्रतिवादीगण नम्बर 11 ता 16 से उक्त भूमि को रहन रखकर ऋण लेने की धमकी देने एंव उनकी शांतिप्रिय कब्जा काश्त मे मजाहमत करने पर आमादा होने के कारण वादकारण उत्पन्न हुआ है। वादी ने दावा विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश कर अनुतोष इस प्रकार चाहा है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 429 ता 455 रकबा क्रमश 0.54, 0.20, 0.20, 0.24, 0.27, 0.64, 0.81, 0.61, 0.74, 0.77, 0.15, 0.34, 0.64, 0.63, 0.14, 1.24, 0.20, 0.06, 0.10, 0.13, 0.96, 0.36, 0.48, 0.83, 0.23, 0.25, 1.69 कुल किता 27 कुल रकबा 13.63 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम सालावाली पटवार हल्का सिहोड़ी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल नीमकाथाना (राज0) के 1/24 हिस्से के वादी व तरतीबी पक्षकारगण नम्बर 17 व 18 को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व 1/24 हिस्से के प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 3 व 7, 8 एंव 1/24 हिस्से के प्रतिवादीगण नम्बर 4 ता 5 काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एंव उक्त 1/8 हिस्से के राजस्व रिकार्ड मे प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 8 व इनके मृतक पिता सूण्डाराम व मांग्या पुत्र कालू व छीतर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.12 16:52:56 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर

12/10/21
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

पुत्र सुण्डा, बीजा देवी पत्नी मांग्या, बोदू पुत्र मांग्या, धूड़ा पुत्र मांग्या, गिरधारी पुत्र छीतर का नाम हजफ किया जावे व तदानुसार रिकार्ड में अमल किया जावे व शेष हिस्सा बदस्तूर जमाबंदी रहे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया।

इस पर वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक/साधारण तरीके से सम्मन नोटिस तलब किये जाने के आदेश दिये गये। सम्यक तामिल के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 1/1 ता 1/9, 3, 4/1 ता 4/4, 5/1 ता 5/5 व 7 ता 16 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। तरतीबी प्रतिवादी संख्या 17 व 18 की ओर से श्री नरेश [redacted]र शर्मा एड0 ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश कर तरतीबी प्रतिवादी संख्या 17 व 18 की ओर से वादपत्र में चाहे गये अनुतोष के आधार पर डिक्री किये जाने हेतु आदेशिका पर हस्ताक्षर कर अपनी सहमति प्रकट की। प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से श्री कानाराम पूनियां एड0 ने उपस्थित होकर वकालतनामा मय ईकबाली जवाब दावा पेश किया। जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से वादपत्र में चाहे गये अनुतोष पर जवाब में सहमति प्रकट की। वकील वादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सीपीसी स्वीकार होकर प्रतिवादीया संख्या 7 दड़की पुत्री सुण्डाराम के स्थान कमली देवी पुत्री सुण्डाराम व भूमि खसरा नम्बर 429 ता 455 कुल किता 27 कुल रकबा 13.63 हैक्टर में राजस्व ग्राम त्रिलोकपुरा पटवार हल्का के स्थान पर राजस्व ग्राम सालावाली पटवार हल्का सिहोड़ी दुरूस्त किया गया। वकील वादी के प्रार्थना पत्र कायम मुकाम को स्वीकार कर प्रतिवादीगण संख्या-1, 4, 5 के कानुनी वारिसान के नाम प्रतिस्थापित किये गये। वादी के मुख्य परीक्षण [redacted]थ पत्र व गवाह/साक्ष्य में सुल्तान पुत्र घीसाराम आयु 38 साल जाति जाट, कैलाश मीणा पुत्र धूड़ाराम उम्र 60 साल जाति मीणा, फूलसिंह पुत्र सुरजाराम उम्र 56 साल जाति जाट, रिछपाल पुत्र ज्यानाराम उम्र 60 साल जाति जा[illegible]तशुदा शपथ पत्र पेश हुये। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 6 के फौत [illegible] वारिसान को रिकॉर्ड पर लिया जाने पर प्रतिवादी संख्या 6 का नाम हजफ किया गया, तथा वकील वादी ने संशोधित वादपत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली रहा। वकील वादी व पक्षकारान ने वादपत्र में बहस सुनी जाकर निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.12 16:52:56 IST
Reason: SelfAttested

12/10/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

प्रकरण मे ईकबालिया जवाब आने तथा उक्त प्रतिवादीगण की तरफ से कोई जवाब दावा/आपत्ति प्रस्तुत नही किये जाने के कारण तनकीयात कायम नहीं की जाकर सीधे ही वकुलाय उभय पक्षकारान की बहस बहुपक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकुलाय उभय पक्षकारान द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकार्ड अंतिम चौसला आधार जमाबंदी संवत् 2074–2077 जमाबंदी, ईकबालिया जवाब दावा व संशोधित वादपत्र इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से वादग्रस्त कृषि भूमियों की खातेदारी पक्षकार वादी व प्रतिवादी संख्या 1/1 ता 1/9, 2, 3, 4/1 ता 4/4, 5/1 ता 5/5, 6, 7, 8 व तरतीबी प्रतिवदीगण 17 ता 18 के नाम हिस्सानुसार दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है। प्रकरण में आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 429 ता 455 रकबा क्रमश 0.54, 0.20, 0.20, 0.24, 0.27, 0.64, 0.81, 0.61, 0.74, 0.77, 0.15, 0.34, 0.64, 0.63, 0.14, 1.24, 0.38, 0.06, 0.10, 0.13, 0.96, 0.36, 0.48, 0.83, 0.23, 0.25, 1.69 कुल किता 27 कुल रकबा 13.63 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम सालावाली पटवार हल्का सिहोड़ी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल नीमकाथाना (राज0) के 1/24 हिस्से के वादी व तरतीबी पक्षकारगण नम्बर 17 व 18 को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना व 1/24 हिस्से के प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 3 व 7, 8 एंव 1/24 हिस्से के प्रतिवादीगण नम्बर 4 ता 5 काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना एवं उक्त 1/8 हिस्से के राजस्व रिकार्ड मे प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 8 व इनके मृतक पिता सूण्डाराम व मांग्या पुत्र कालू व छीतर पुत्र सुण्डा, बींजा देवी पत्नी मांग्या, बोदू पुत्र मांग्या, धूड़ा पुत्र मांग्या, गिरधारी पुत्र छीतर का नाम हजफ किया जाना व उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल किया जाना व शेष हिस्सा बदस्तुर जमाबंदी रखा जाना प्रकट होता है। उक्तानुसार राजस्व अभिलेख को दुरूस्त किये जाने हेतु वादपत्र को स्वीकार कर किया जाकर दावा डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.12 16:52:56 IST
Reason: SelfAttested

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत् ईस्तकरार हक, रिकॉर्ड दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर कृषि भूमि खसरा नम्बर 429 ता 455 रकबा क्रमश 0.54, 0.20, 0.20,

12/10/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

0.24, 0.27, 0.64, 0.81, 0.61, 0.74, 0.77, 0.15, 0.34, 0.64, 0.63, 0.14, 1.24, 0.38, 0.06, 0.10, 0.13, 0.96, 0.36, 0.48, 0.83, 0.23, 0.25, 1.69 कुल किता 27 कुल रकबा 13.63 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम सालावाली पटवार हल्का सिहोड़ी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल नीमकाथाना (राज0) के 1/24 हिस्से के वादी व तरतीबी पक्षकारगण नम्बर 17 व 18 को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर व 1/24 हिस्से के प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 3 व 7, 8 को एवं 1/24 हिस्से के प्रतिवादीगण नम्बर 4 ता 5 को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर एंव उक्त 1/8 हिस्से के राजस्व रिकार्ड मे प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 8 व इनके मृतक पिता सूण्डाराम व मांग्या पुत्र कालू व छीतर पुत्र सुण्डा, बींजा देवी पत्नी मांग्या, बोदू पुत्र मांग्या, धूड़ा पुत्र मांग्या, गिरधारी पुत्र छीतर का नाम हजफ किया जाकर व उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल किया जाकर व शेष हिस्सा बदस्तुर जमाबंदी रखे जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में राजकीय हित एवं राजस्व अपवंचना की जॉच कर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखित दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर

12/10/23
(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

यह निर्णय आज दिनांक **12.10.2023** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.12 16:32:56 IST
Reason: SelfAttested

12/10/23
(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)